भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0. 6/2017- प्रतिकर उपकर(दर)

नई दिल्ली, दिनांक 13अक्टूबर, 2017

सा०का०नि० ......(अ).- माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017(2017 का 15) की धारा 8 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्र सरकार, जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 2/2017-प्रतिपूर्ति उप-कर(दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा0का0नि0 709 (अ), दिनांक, 28 जून,2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i)में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :-

(क)क्रम सं० 2 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जायेगा, यथा ,-

(1)	(2)	(3)	(4)
“2क	1 जुलाई 2017 के पहले खरीदे और पट्टे पर दिएगए वाहनों को पट्टे पर देना	अध्याय 99	उप-कर की दर का 65% जो कि जो कि इसी प्रकार के माल कि आपूर्ति पर लागू होती है, जिसमें माल में हक़ का अंतरण भी शामिल है । नोट;- इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 1 जुलाई 2020 को या उसके बाद लागू नहीं होगी ” ।

[फ़ा सं.354/173/2017 –टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट :- प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं० 2/2017- प्रतिपूर्ति उप-कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, सा०का०नि० 709 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया गया था।